

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 19 नवम्बर, 2013

विषय- महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व तथा साधु टी०ए०वासवानी के जन्मदिन पर प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोशत की दुकानों को बन्द रखे जाने के संबध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रदेश के महापुरुषों एवं अहिंसा के सिद्धांत (Doctrine of Non-Violence) का प्रतिपादन करने वाले विभिन्न युग पुरुषों के जन्म दिवसों एवं कुछ प्रमुख धार्मिक पर्वों को "अभय" अथवा "अहिंसा" दिवस के रूप में मनाये जाने के उद्देश्य से महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, साधु टी०ए०वासवानी एवं शिवरात्रि के महापर्व पर प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोशत की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश समय-समय पर निर्गत किए गए हैं।

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, महावीर जयंती एवं शिवरात्रि के महापर्व की भांति साधु टी०ए०वासवानी के जन्मदिन दिनांक 25 नवम्बर को भी प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोशत की दुकानों को बन्द रखा जाना, कृपया सुनिश्चित किया जाये।

3. कृपया अपनी अधीन समस्त नागर स्थानीय निकायों में उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा भविष्य में भी उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।


संख्या: 5779(1)/9.1.13-55सा/99, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी नागर स्थानीय निकायों को निर्देशित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
9. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, न०पा०प० एवं न०पं० उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल/नगर विकास अनु०८
- ✓ 12. बेव मास्टर, नगर विकास विभाग को इस निर्देश सहित प्रेषित कि प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश विभागीय साइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।